

306



न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र० क्र० /14

R. 2243-II/14

दिनांक 24-7-14
श्री पी.ठाकुरदास ठाकुर
के समक्ष प्रेषित
24-7-14

नितिन कुमार पुत्र घनश्यामदास माहेश्वरी उम्र
41 वर्ष, निवासी: मस्जिद गली आगर, जिला
आगर मालवा म.प्र. ———निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- अपर कलेक्टर महोदय आगर श्री अशोक वर्मा
कलेक्टर कार्यालय आगर मालवा
- 2- तहसीलदार महोदय आगर मालवा श्री एन.एन.
पाण्डे, तहसील कार्यालय आगर
- 3- अनुविभागीय अधिकारी आगर श्री जी.एस.
डाबर, एस.डी.ओ. कार्यालय आगर
- 4- कस्बा पटवारी आगर श्री नारायण सिंह
मालवीय, तहसील कार्यालय आगर
- 5- थाना प्रभारी आगर—प्रतिनिगरानीकर्तागण

निति + सुलभ
8/11/14
24/7/2014

24-7-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

माननीय महोदय,


निगरानी सन्दर्भ:- प्रतिनिगरानीकर्तागण द्वारा आपस में सगनमत होकर
तथा अपर कलेक्टर आगर के प्रकरण क्रमांक 4बी/121/2013-14 के निराकरण
के पूर्व ही प्रति निगरानीकर्तागणों द्वारा तैयार कर लिया गया सूचना-पत्र
क्रमांक/रीडर-1/2014/478-479 दिनांक: 25.03.2014 व उससे तैयार करवाली
जॉच रिपोर्ट दिनांक: 24.03.2014 व उससे उत्पन्न प्रकरण क्रमांक 110 व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2243-एक/14

जिला - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
65-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14-11-18 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	